



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1186]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 20, 2011/ज्येष्ठ 30, 1933

No. 1186]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 20, 2011/JYAISTHA 30, 1933

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 2011

का.आ. 1424(अ).—केन्द्रीय सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 11 के अधीन जारी की गई, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 465(अ), तारीख 26 अप्रैल, 2002 और का.आ. 1192 (अ) तारीख 3 दिसम्बर, 2001 द्वारा केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 47 के 182.040 कि.मी. 316.00 कि.मी. और 332.600 कि.मी.-349.000 कि.मी. (तमिलनाडु/केरल सीमा-कोच्ची सेक्शन) और 316.000 कि.मी. 332.600 कि.मी. (अलुवा-अंगामली सेक्शन) तक के भू-खण्ड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) को सौंपा था;

और, उक्त अधिनियम की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, प्राधिकरण ने केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 47 के 270.000 कि.मी. से 316.700 कि.मी. तक के खंड को चार लेन का बनाने डिजाइन, संरचना, वित्त, सन्निर्माण, विकास, प्रचालन और अनुरक्षण तथा 316.700 कि.मी. से 342.00 कि.मी. (थोरूसर-अंगामली-इदापल्ली सेक्शन), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त खंड कहा गया है), तक के खंड को सुधार, प्रचालन और अनुरक्षण के लिए मैसर्स गुरुवायूर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय डोर नम्बर-1, 80/40एसपी/58-65, शिल्पा होम्स लेआउट, गच्चीबाउली, हैदराबाद, में है (जिसे इसमें इसके पश्चात् रियायतग्राही कहा गया है) के साथ करार किया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग सेक्शन/राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थायी पुलों/अस्थायी पुलों के उपयोग के लिए किसी व्यक्ति द्वारा फीस का संग्रहण) नियम, 1997 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त खंड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन में अंतर्विलित व्यय, विनिधान की गई पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात का परिमाण तथा प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किये गये करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, यह अधिसूचित करती है कि उक्त खंड के उपयोग के लिए नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट यानों के प्रवर्ग पर उसके स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट आधार फीस दरों पर फीस उद्ग्रहीत करेगी और उक्त रियायतग्राही को वाणिज्यिक प्रचालन या इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से ही, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, उक्त करार में यथाविनिर्दिष्ट समाप्ति की तारीख तक फीस संग्रहीत और प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात् :—

सारणी

क्रम संख्या	यान का प्रकार	आधार फीस प्रति यान प्रति फेरा फीस की दर (रुपए प्रति कि. मी.)
(1)	(2)	(3)
1.	कार, यात्री वैन अथवा जीप	0.40
2.	हल्के वाणिज्यिक यान (एल सी वी)	0.70
3.	ट्रक या बस	1.40
4.	बहुधुरीय यान (>2 धुरीय)	2.25

टिप्पण :— 1. इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए :—

- (i) "वास्तविक फीस" से उक्त खंड के उपयोक्ताओं से प्रभारित निम्नलिखित के आधार पर वास्तविक फीस अभिप्रेत है:—
- (क) परियोजना राजमार्ग की लम्बाई (कि.मी.) में, और
- (ख) उपरोक्त सारणी में दर्शित आधार की दर पर फीस और जो पांच रुपये के निकटतम पूर्णांक में होगी;
- (ii) "वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको उक्त खंड के संबंध में वाणिज्यिक प्रचालन प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किए गए करार के उपबन्धों के अनुसार उक्त खंड के पूरा होने पर, किसी स्वतंत्र सलाहकार द्वारा यथास्थिति, पूर्णता प्रमाणपत्र अथवा अर्न्तम पूर्णता प्रमाणपत्र, जारी किए जाने के पश्चात् प्रारम्भ होता है।
- (iii) कार या जीप या वैन के लिए संदेय फीस के संबंध में "स्थानीय यातायात" से तात्पर्य निम्नलिखित प्रकार के यातायात से है :—
- (क) "स्थानीय यातायात प्रवर्ग I" से निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी के अंतर्गत आने वाले उपयोक्ता अभिप्रेत और सम्मिलित हैं—
- (1) ऐसे ग्रामों, कस्बों या शहरों के निवासी जिनकी सीमा पथकर प्लाजा के दस कि.मी. के घेरे के भीतर आती है;
- (2) पथकर प्लाजा के दस कि.मी. के घेरे के भीतर अवस्थित स्थापन या औद्योगिक इकाइयां;
- (3) ऐसे स्थापनों या औद्योगिक इकाइयों के कर्मचारी, या जिनके कार्यालय पथकर प्लाजा के दस कि.मी. के घेरे के भीतर अवस्थित हैं; और
- (4) स्वनियोजित व्यक्ति या व्यवसायी जिनका कार्य स्थल पथकर प्लाजा से दस कि.मी. के घेरे के भीतर अवस्थित है;
- (ख) "स्थानीय यातायात प्रवर्ग II" से निम्नलिखित प्रवर्ग में से किसी के अंतर्गत आने वाले स्थानीय उपयोक्ता अभिप्रेत और सम्मिलित हैं—
- (1) ऐसी ग्रामों, कस्बों या शहरों के निवासी जिनकी सीमाएं फीस संग्रहण प्लाजा (पथकर प्लाजा) से दस कि.मी. से अधिक किन्तु बीस कि.मी. तक के घेरे के भीतर आती हैं;
- (2) फीस संग्रहण प्लाजा (पथकर प्लाजा) से दस कि.मी. से अधिक किन्तु बीस कि.मी. तक के घेरे के भीतर अवस्थित या स्थापन औद्योगिक इकाइयां हैं;
- (3) ऐसे स्थापनों या औद्योगिक इकाइयों के कर्मचारी या जिनके कार्यालय जो फीस संग्रहण प्लाजा

(पथकर प्लाजा) से दस कि.मी. से अधिक किन्तु बीस कि.मी. तक के घेरे के भीतर अवस्थित हैं;

- (4) स्वनियोजित व्यक्ति या व्यवसायी जिनका कार्यस्थल फीस संग्रहण प्लाजा (पथकर प्लाजा) से दस कि.मी. से अधिक किन्तु बीस कि.मी. तक के घेरे के भीतर है।

- (iv) "समाप्ति की तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किया गया उक्त करार, उक्त करार के उपबन्धों के अनुसरण में समाप्त होता है या समाप्ति की सूचना द्वारा समाप्त किया जाता है;

- (v) शब्दों और पदों के जो इस अधिसूचना में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु उक्त खंड के सम्बन्ध में प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किए गए करार में परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे जो उक्त करार, में हैं;

2. फीस का संग्रहण पथकर प्लाजा 278.00 कि.मी. पर 64.940 कि.मी. के लिए किया जाएगा।

3. फीस की वास्तविक दर की संगणना और प्रत्येक वर्ष 1 सितम्बर से प्रभावी उसका पुनरीक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:—

$$\text{आधार फीस} \times \frac{\text{थो.की.सू.-ख}}{\text{थो.की.सू.-क}} \times \text{उक्त खंड की लम्बाई (कि.मी. में)}$$

जहां

- डब्ल्यू पी आई = ए जून 1997 (131.4) को विद्यमान थोक कीमत सूचकांक है।
 - डब्ल्यू पी आई = बी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की समाप्ति के लिए उपलब्ध थोक कीमत सूचकांक है।
 - डब्ल्यू पी आई से कार्यालय आर्थिक सलाहकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया थोक कीमत सूचकांक या उसको प्रतिस्थापित करने वाला कोई अन्य सूचकांक अभिप्रेत है।
4. जब किसी यान को किसी दिन उक्त खण्ड को एक दिन में एक से अधिक बार पार करना हो, तो प्रयोक्ता के पास यह विकल्प होगा कि वह पहले ही फेरे में पथकर प्लाजा को पार करते समय उक्त सारणी के स्तंभ तीन में यथाविनिर्दिष्ट दरों पर अनेक फेरों के लिए फीस का डेढ़ गुना संदाय कर दे। यदि उसी यात्रिक यान उक्त खंड का पूरे मास में निरंतर और बार-बार या इसके परे भी प्रयोग करना हो तो यान का स्वामी उक्त सारणी के स्तंभ तीन में यथाविनिर्दिष्ट उसको लागू तीस एकल दरों के समतुल्य प्रभारों को संदेय करके मासिक पास प्राप्त कर सकेगा।
5. निम्नलिखित प्रकार के यानों के संबंध में कोई फीस प्रभारित या संग्रहीत नहीं की जाएगी, अर्थात् :—

- (i) ऐसे यान-
- (अ) जो "अति महत्वपूर्ण व्यक्ति" प्रतीक वाले हैं या शासकीय रूप से निम्नलिखित के हैं:-
- (क) भारत के राष्ट्रपति;
- (ख) भारत के उपराष्ट्रपति;
- (ग) राज्य के राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्रों के उप-राज्यपाल;
- (घ) भारत के राजकीय दौरे पर उच्च पदस्थ विदेशी व्यक्ति;
- (ङ) "सी डी"/"सीसी" नंबर प्लेटों वाली कारों का उपयोग करने वाले भारत में रह रहे विदेशी राजनयिक ;
- (च) राज्य सभा के सभापति या लोक सभा के अध्यक्ष या राज्य विधान परिषद या राज्य विधान सभा के अध्यक्ष या केंद्रीय अथवा राज्य मंत्री अथवा लोक सभा या राज्य सभा या राज्य विधान मंडलों के विपक्ष के नेता जिनकी हैसियत कैबिनेट मंत्री की है, यदि वे स्वयं यान में बैठें हों; या
- (छ) सम्पूर्ण देश में संसद सदस्य, या अपने राज्य या किसी राज्य की विधान सभा का सदस्य या राज्य की विधान परिषद का सदस्य, यदि वह, यथास्थिति, संसद अथवा राज्य के संबंधित विधान मंडल द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र प्रस्तुत करता है;
- (आ) शौर्य पुरस्कारों अर्थात् परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र के विजेता यदि ऐसा पुरस्कार प्राप्तकर्ता ऐसे पुरस्कार के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित किया गया अपना फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करता है;
- (ii) रक्षा यान, जिनके अंतर्गत वे यान भी हैं जो भारतीय पथकर (सेना और वायुसेना) अधिनियम, 1901 और उसके अधीन बनाए गए नियमों (नौसेना को यथा विस्तारित) के उपबंधों के अनुसार छूट के पात्र हैं;
- (iii) पुलिस यान, अग्नि शमन यान, एम्बुलेंस, अन्त्येष्टि यान, डाक और तार विभाग के यान, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के कर्तव्यारूढ़ यान;
6. रियायतग्राही स्थानीय यातायात से निम्नलिखित दरों से अधिक कोई फीस वसूल नहीं करेगा :-
- (क) कार/जीप/वैन

(i) स्थानीय यातायात प्रवर्ग 1 :	150.00 रुपये का मासिक पास
(ii) स्थानीय यातायात प्रवर्ग 2 :	300.00 रुपये का मासिक पास

- (ख) बसें : राज्य परिवहन बसों के लिए मासिक पास ऐसे सक्षम प्राधिकारी के प्रमाण पर (जो महाप्रबंधक राज्य

सरकार सड़क परिवहन की पंक्ति से निम्न नहीं होगा) द्वारा उस मार्ग पर प्रतिदिन चलने वाली बसों की संख्या प्रमाणित किए जाने पर विनिर्दिष्ट दर पर राज्य सरकार परिवहन के पक्ष में मासिक पास जारी किये जा सकेंगे और निजी स्थानीय प्रचालकों के मामले में मासिक पास जिला परिवहन प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित मार्ग प्रचालन के लिए अपने परमिट और मार्ग प्रचालन की समय सारणी प्रस्तुत किये जाने पर जारी किए जाएंगे ।

- (ग) स्कूल बसें : स्कूल छात्रों को ले जाने वाली स्कूल बसों के लिए पथकर प्लाजा पार करने के लिये स्कूल के प्राचार्य के लिखित अनुरोध के साथ स्कूल की मान्यता तथा बस का रजिस्ट्रीकरण दर्शाने वाले दस्तावेजों की प्राप्ति पर 1000-रुपये (एक हजार रुपये) की दर से मासिक पास जारी किये जाएंगे ।
- (घ) हल्के वाणिज्यिक यान या ट्रक (स्थानीय परिवहन प्रचालक) :-स्थानीय परिवहन प्रचालकों को 20 कि.मी. के भीतर उन्हें चलाने का सबूत अर्थात् स्पष्ट रूप से वाहन की वापसी के ब्योरे विनिर्दिष्ट करते हुए प्रारम्भिक और अन्तिम स्थान के लिए माल का चालान प्रस्तुत करने पर रियायती फीस ली जाएगी। ऐसे परिवहन के लिए प्रत्येक प्रवेश पर ट्रकों के लिये 25 रुपये (पच्चीस रुपये) और हल्के वाणिज्यिक वाहनों के लिये 15 रुपये (पन्द्रह रुपये) की फीस होगी :

परन्तु, जहां स्थानीय यातायात द्वारा स्वतंत्र उपयोग के लिए पृथक सेवा लेन खुली हुई है वहाँ ऐसे वाहनों से चार लेन के राजमार्ग का उपयोग करने पर ही रियायतग्राही फीस उद्ग्रहीत और संग्रहीत करेगा ।

7. जब कभी कोई सर्विस लेन बनाई जाती है तो रियायतग्राही ऐसी लेन के उपयोगकर्ताओं से शुल्क संग्रहण नहीं करेगा ।
8. किसी ऐसे यांत्रिक यान से कोई फीस उद्ग्रहीत और संग्रहीत नहीं की जाएगी जो उक्त सारणी के अंतर्गत नहीं आते है ।
9. रियायतग्राही, नियत तारीख से कम से कम दस दिन पहले इस अधिसूचना का सार कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में (जिनमें से एक स्थानीय भाषा में होगा) वाणिज्यिक प्रचालन कि तारीख से कम से कम दस दिन पहले प्रकाशित करेगा, जिसमें इस अधिसूचना के उपबन्धों के अनुसार वाणिज्यिक प्रचालन की नियत तारीख का भी उल्लेख होगा और ऐसे सार को पुनरीक्षित फीस को प्रभाव देने के लिए दस दिन पहले पुनः प्रकाशित करेगा ।
10. रियायतग्राही ऐसे किसी अधिकारी को फीस संग्रहण के भार साधक के रूप में नामनिर्दिष्ट करेगा जो रियायतग्राही

के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि फीस का संग्रहण करार की गई दरों से अधिक पर नहीं हो रहा है और फीस का संग्रहण सड़क उपयोगताओं को और उससे संबंधित विषयों के लिए असम्यक् कठिनाई पहुँचाए बिना सहज रूप से है।

11. फीस की दर, फीस के संदाय से छूट प्राप्त यानों के प्रवर्ग और रियायतग्राही का नाम, पता और टेलीफोन संख्या, जिसे शिकायत, यदि कोई हो, संबंधित की जा सकेंगी पथकर बूथों से 500 मी. आगे, पथकर प्लाजा से 100 मी. आगे और पथकर प्लाजा पर भी सहजदृश्य रूप से और प्रमुख रूप से संप्रदर्शित की जाएगी और संप्रदर्शन बोर्ड की ऊँचाई और अक्षरों का आकार इस प्रकार का होगा कि चालकों के लिए संप्रदर्शन बोर्ड का पढ़ना आसान हो सकें।
12. उपयोक्ताओं से प्रभारित की जाने वाली वास्तविक फीस की संगणना रियायतग्राही द्वारा की जाएगी और प्रतिवर्ष 31 मार्च के पश्चात् किंतु पुनरीक्षित दर प्रभावी होने से कम से कम 45 दिन पहले, यथासम्भव शीघ्र विधिमान्यता के लिए प्राधिकरण को भेजी जाएगी जिससे कि प्राधिकरण, उक्त प्रस्ताव की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर कोई टीका टिप्पणियाँ कर सके या स्पष्टीकरण यदि कोई हो मांग सके और यदि प्राधिकरण इस अवधि के दौरान कोई टीका टिप्पणी नहीं करता है या स्पष्टीकरण नहीं मांगता है तो रियायतग्राही द्वारा यथा प्रस्तावित पुनरीक्षित फीस प्राधिकरण द्वारा पुष्टि की गई समझी जाएगी।

[फा. सं. एनएचआई/13013/605/सीओ/10-11/जीसी पालाकड
(270-342) बी ओ टी]

बी. बी. महापात्र, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND
HIGHWAYS
NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th June, 2011

S.O. 1424(E).—Whereas, *vide* notifications of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 465(E), dated the 26th April, 2002 and S.O. 1192(E), dated 3rd December, 2001, issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government entrusted the stretches from km 182.040—km 316.00, and km 332.600—km 349.00 (Tamil Nadu/Kerala Border-Kochi Section) and km 316.00—km 332.600 (Aluva-Angamali Section) of National Highway No. 47 in the State of Kerala to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the Authority);

And whereas, pursuant to the powers conferred by Section 14 of the said Act, the Authority has entered into an agreement with M/s Guruvayoor Infrastructure Private Limited having its registered office at Door No. 1-80/40SP/

58-65, Shilpa Homes Layout, Gachibowli, Hyderabad (hereinafter referred to as the Concessionaire) for design, construction, development, finance, operation and maintenance of the section from km 270.00—km 316.700 to four lane and improvement, operation and maintenance of the section from km 316.700—km 342.00 (Thrissur-Angamali-Edapalli section) of National Highway number 47 in the State of Kerala (hereinafter referred to as the said section);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 8A of the National Highways Act, 1956 read with the National Highways (Collection of Fees by any Person for the use of Section of National Highways/Permanent Bridge/Temporary Bridge on National Highways) Rules, 1997, the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire, hereby levies fee at the base rate specified in column (3) of the following Table, on the category of vehicles specified in column (2) thereof, for the user of the said section and authorises the Concessionaire to collect and retain the said fee on and from the date of commercial operation or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date, namely :—

TABLE

Sl. No.	Category of Vehicle	Rate of base fee per km per vehicle per one way trip (in rupees)
1.	Car, Passenger van or Jeep	0.40
2.	Light Commercial Vehicles (LCV)	0.70
3.	Truck or Bus	1.40
4.	Multi Axle Vehicle (>2 axle)	2.25

Notes :—1. For the purposes of this notification,—

- (i) “actual fee” means the fees actually charged from the road users of the said section on the basis of—
 - (a) length of the project highway,
 - (b) base fee given in the above Table duly indexed, and shall be rounded off to nearest five rupees;
- (ii) “date of commercial operation” means the date on which commercial operation of the said section begins after issue of the completion certificate or the provisional completion certification as the case may be, by the Independent Consultant, upon completion of the said section in accordance with the provisions of the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire;

(iii) "local traffic" means the following type of traffic in relation to the fee payable for car or jeep or van :—

(a) "Local Traffic Category I" means and includes users falling into any of the following categories :—

- (1) Residents of villages or towns or cities whose boundary falls within a radius of ten kilometers of the fee collection booth (toll plaza);
- (2) Establishments or Industrial units located within a radius of ten kilometers of the fee collection booth (toll plaza);
- (3) Employees of Establishments or Industrial units located or having their office, within a radius of ten kilometers of the fee collection booth (toll plaza); and
- (4) Self employed persons or businessmen having their place of work within a radius of ten kilometers of the fee collection booth (toll plaza).

(b) "Local Traffic Category II" means and includes local users falling into any of the following categories :—

- (1) Residents of villages or towns or cities whose boundary fall within a radius of more than ten kilometers but upto twenty kilometers of the fee collection booth (toll plaza);
- (2) Establishments or Industrial units located within a radius of more than ten kilometers but upto twenty kilometers of the fee collection booth (toll plaza);
- (3) Employees of Establishments or Industrial units located or having their office, within a radius of more than ten kilometers but upto twenty kilometers of the fee collection booth (toll plaza); and
- (4) Self employed persons or businessmen having their place of work within a radius of more than ten kilometers but upto twenty kilometers of the fee collection booth (toll plaza).

(iv) "termination date" means the date on which the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire expires pursuant to the provisions of the said agreement or is terminated by termination notice;

(v) words and expressions used in this notification and not defined but defined in the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire in respect of the said section shall have the same meaning as assigned to them respectively in the said agreement.

2. The fee shall be collected at the Toll Plaza at km. 278.00 for 64.940 kms.

3. The rate of fee and the revision thereof every year effective from 1st September shall be computed as follows :—

$$\text{of Base Fee} \times \frac{\text{WPI - B}}{\text{WPI - A}} \times \text{length in kilometer the said section.}$$

Where

- WPI-A = is the Wholesale Price Index on June, 1997 i.e. (131.4).
- WPI-B = is the Wholesale Price Index available for the end of the preceding financial year.
- WPI means the Whole Sale Price Index as released by the Office of the Economic Advisor, Ministry of Commerce and Industry, Government of India or any other index replacing the same.

4. When the same vehicle has to cross the said section more than once in a day, the user shall have the option to pay the fee for multiple trips at one and half times the rate as given in the Table above while crossing the toll plaza in the first trip itself or if the vehicle has to use the said section continuously and frequently for the entire month or more, the vehicle owner may have a monthly pass on payment of charges equal to thirty times the rate applicable for a single trip as specified in the aforesaid Table.

Explanation :—For the purpose of this notification "day" shall be counted as continuous period of twenty-four hours.

5. No fee shall be charged or collected in respect of the following vehicles, namely :—

(i) Vehicles—

(A) having VIP symbols or officially belonging to—

- (a) the President of India;
- (b) the Vice-President of India;
- (c) the Governor of a State and Lieutenant Governor of a Union territory;
- (d) a Foreign dignitary on State visit to India;
- (e) a Foreign Diplomat stationed in India using cars with "CD" / "CC" number plates;
- (f) the Chairman of Rajya Sabha or Speaker of Lok Sabha or Chairman of a State Legislative Council or Speaker of a State Legislature Assembly or a Minister for the Union or State or Leader of Opposition in Lok Sabha or Rajya Sabha

or State Legislatures having the Status of Cabinet Minister if he is sitting in the vehicle; or

- (g) a Member of Parliament in the entire country or a Member of Legislative Assembly of a State or a Member of Legislative Council of a State, in the respective State if he produces his identity card issued by the Parliament or concerned Legislature of a State, as the case may be;

(B) belonging to winner of gallantry awards such as Param Vir Chakra, Ashok Chakra, Maha Vir Chakra, Kirti Chakra, Vir Chakra and Shaurya Chakra, if such awardee produces his photo identity card duly authenticated by the competent authority for such award;

(ii) Defence vehicles, including those eligible for exemption in accordance with the provisions of the Indian Toll (Army and Air Force) Act, 1901 and the rules made there under (as extended to Navy);

(iii) Police vehicles, Fire fighting vehicles, Ambulances, Funeral vans, Post and Telegraph Department's vehicles, Central and State Government vehicles on duty.

6. Concessionaire shall not collect fees from local traffic in the excess of the following discounted rate :—

(a) Car/Jeep/Van :

(i) Local Traffic Category I: Monthly pass of Rs. 150.00

(ii) Local Traffic Category II: Monthly pass of Rs. 300.00;

(b) Buses : Monthly passes for the State Transport buses may be given at the specified rate in favour of the State Government Transport on the certification of the competent authority (not less than General Manager, State Government Road Transport) certifying the number of buses plying in the route per day. In case of private local operators monthly passes shall be issued on production of their route permit and time-table of the route operation duly certified by the District Transport Authority.

(c) School Buses : Monthly passes for school buses, crossing the toll plaza may be given at a monthly rate of Rs. 1000/- (rupees onethousand) after obtaining written request of the school principal along with documents showing the recognition of the school and the registration of the bus.

(d) Light Commercial Vehicle or Trucks (Local Transport Operators) : Concessional Fee may be given to the Local Transport Operators on production of proof for plying within twenty

kilometers i.e. goods challan showing origin and destination clearly specifying the return details of the vehicle and the fee for such transport shall be Rs. 25 (rupees twenty five) for trucks for each entry and Rs. 15 (rupees fifteen) for Light Commercial Vehicle for each entry :

Provided, that if a separate service lane is opened for free use by local traffic, the Concessionaire shall collect the fee from such local traffic, if they use the four lane highway.

7. As and when a service lane is constructed, the Concessionaire shall not collect any fee from the users of such lane.

8. No fee shall be collected from a mechanical vehicle, which is not covered under the above Table.

9. The Concessionaire shall publish the substance of this notification in two local newspapers (one of which shall be in vernacular language), which shall also state the date of commercial operation as per the provisions of this notification, at least ten days prior to the date of commercial operation and such substance shall also be repeated, ten days prior to giving effect to revised fees as per this notification.

10. The Concessionaire shall nominate an officer as in-charge of fee collection and the Concessionaire and the said officer shall be responsible to ensure that fees are collected at not more than the agreed rates and the fee collection is smooth without causing undue hardship to the road users and for all matters connected therewith.

11. The rate of fee, the categories of vehicles exempted from payment of fee and the name, address and telephone number of Concessionaire to whom complaints, if any, should be addressed, shall be conspicuously and prominently displayed 500 meters ahead of the toll booths, 100 meters ahead of the toll booths and at the toll booths also and the height of the display boards and size of letters being such that the driver can easily read the display boards.

12. The actual fee to be charged from users shall be computed by the Concessionaire and sent to the Authority for validation as soon as possible after 31 st March, in every year, but at least forty-five days before the revised rate is to be effected so as to enable the Authority to provide any comments or seek clarifications, if any, within a period of fifteen days from the date of receipt of the said proposal and if the Authority does not offer comments or seek clarifications during this period, the revised fee, as proposed by the Concessionaire, shall be deemed to have been confirmed by the Authority.

[F.No. NHAI/13013/605/CO/10-11/GC-Palakkad
(270-342) BOT]

B. B. MOHAPATRA, Director